-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर .... मुकाम .... बांदीकुई

.... बनाम ....

.... नं० .... सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/05/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई, गत आदेश की पालना में दिनांक 06/06/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
06/06/25 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14/7/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
14/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 16/7/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
16/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 18/7/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रतन V/s अमरसिंह
18/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि रही है। जो प्रार्थीगण के पितामह से पूर्व खतौनी बंदोबस्त संवत 2003 से 2022 में कमोदसिंह के नाम से भूमि थी। भूमि मे बंदोबस्त के समय कमोदसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के पिता का इन्द्राज हुआ तब जुहारा पुत्र धन्ना के नाम सहवत से गलत तरीके से भूमि नाम प्रार्थीगण के पिता के साथ हो गया। जबकि ग्राम तिगड्डा मे जुहारा पुत्र धन्ना नाम का कोई व्यक्ति नही था ना ही वर्तमान मे कोई व्यक्ति है। भूमि वादग्रस्त पर प्रार्थीगण के पूर्वजो का जब से भूमि उनके हक मे आयी तब से प्रार्थीगण के पिता भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसका प्रमाण गिरदावरी संवत 2034 से 2037 मे प्रार्थीगण के पिता रणजीता पुत्र मोहन्या के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि जो कि प्रार्थीगण के पितामह की थी, उसमे गलत रूप से जुहारा पुत्र धन्ना का

(हस्ताक्षर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स

गलत नाम दर्ज होने से ए
धन्ना नाम का कोई व्यक्ति
का फायदा उठाने की नीयत
सं. 1 लगा. 3 ने राजस्व क
मिली भगत कर गलत त
भूमि को हड़पने की नीय
वादग्रस्त पर फर्जी तरी
जुहारा पुत्र धन्ना का
राजस्व रिकार्ड जमा
अमल करवा लिया और
पश्चात अप्रार्थी सं. 5
के यहाँ से जो कि बां
पड़ता है। उसके यहाँ
को रहन रखकर उक्त
कर लिया। वर्तमान
नाम जो अप्रार्थी सं.
ग्राम तिगड्डा के नि
ग्राम तिगड्डा मे उन
है। अप्रार्थी संख्या 1
को हैरान व परेशान
से व उक्त भूमि
की नियत से झूठे
प्रस्तुत कर राजस्
इन्द्राज की आड
से पेश किये है
ने चालाकी से
धन्ना का वा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गलत नाम दर्ज होने से एवं जुहारा पुत्र धन्ना नाम का कोई व्यक्ति नही होने का फायदा उठाने की नीयत से अप्रार्थी सं. 1लगा. 3 ने राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत कर गलत तरीके से वादग्रस्त भूमि को हड़पने की नीयत से उक्त भूमि वादग्रस्त पर फर्जी तरीके से स्वयं को जुहारा पुत्र धन्ना का पुत्र बताकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे नाम अमल करवा लिया और अमल करवाने के पश्चात् अप्रार्थी सं. 5 बैंक ऑफ बडौदा के यहाँ से जो कि बांदीकुई क्षेत्र मे नही पड़ता है। उसके यहाँ भूमि वादग्रस्त को रहन रखकर उक्त भूमि पर ऋण प्राप्त कर लिया। वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज नाम जो अप्रार्थी सं. 1लगा. 3 के रूप में है ग्राम तिगड्डा के निवासी नही है ना ही ग्राम तिगड्डा मे उनके कोई वारिसान रहे है। अप्रार्थी संख्या 1लगा. 3 द्वारा प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से व उक्त भूमि वादग्रस्त को हड़पने की नियत से झूठे वाद न्यायालय मे प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड मे गलत इन्द्राज की आड मे फसाने की नीयत से पेश किये है। अप्रार्थी सं. 1लगा. 3 ने चालाकी से स्वयं को जुहारा पुत्र धन्ना का वारिसान बताकर झूठे	

(sd/-)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	मुकदमें कर एवं राजस्व व प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस से मिलकर समूर्ण प्रार्थीगण के विरुद्ध इकट्ठा करने पर आमादा है। जिन्हें पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में दिनांक 25.1.2024 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। तलबी अप्रार्थीगण करवाई गई। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार है। और काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से मिलकर संवत 2037 की गलत गिरदावरी तैयार करवाई है। प्रतिकुल कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणों का निस्तारण निम्न तीन बिन्दूओं के आधार पर किया जाता है। 1) प्राईमा फैसाई केस 2) सुविधा का संतुलन 3) अपूर्णीय क्षति	

1) प्राईमा फैसाई केस - प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में उद्घोषणा-चाहते है। तथा प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से

APP
Crll

अ. 33 4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बाल्त .... कलेक्टर .... मुकाम .... बांदीकुई

.... बनाम ....

मुकदमा .... नं० .... सन् ....

र	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पाबंद करवाने की इस्तदुहा चाही है। अप्रार्थी सं. 1लगा. 3 का कथन है कि वाद ग्रस्त भूमि मे 1/2 के खातेदार है और काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से मिलकर संवत् 2037 की गलत गिरदावरी तैयार करवाई है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। काउन्टर स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण ने पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिसमे खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2003 से 2022 कमोदसिंह एवं संवत् 2034 से 2037 की गिरदावरी मे रणजीता पुत्र मोहना का नाम दर्ज है। जिसके आधार पर वाद ग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण के हक [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आधिकार हो सकते हैं। जिसका निस्तारण मूल वाद मे साक्ष्य / सबूतो के आधार पर किया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राइमा फेसाई केस प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है।
	2) सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति:- सुविधा की दृष्टि से दोनो बिन्दूओ का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। उक्त बिन्दूओ के सम्बंध मे न्यायालय का मत है कि जब वाद मे पक्षकार एक बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहता है तो उक्त दोनो बिन्दू उसी के पक्ष मे तय किये जाने होते है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे तय है। अत: उक्त दोनो बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे तय किये जाते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा॰ पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने योग्य है। अत: आदेश है की भूमि वादग्रस्त मे दिनांक 25.01.2024 को न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण होने तक कन्फर्म की जाती है। प्रकरण फैसल सुमार होकर मूल वाद के संलग्न रहे।

मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 18/7/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 18/7/25

उप खंड अधिकारी

बांदीकुई (दौसा)